राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 05/2012/पाली.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 1085/2009/पाली)

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 06/2012/पाली.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 1086/2009/पाली)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, पाली. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स खन्ना स्टील्स, नयी दिल्ली. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

कोई नहीं .....प्रार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/06/2016

निर्णय

1. ये दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स खन्ना स्टील्स, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1085/2009 एवं 1086/2009/पाली में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 22.03.2012 में परिशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में अंकित किया गया है कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए राजस्व की अपीलें स्वीकार की गयी हैं। माननीय एकलपीठ द्वारा दिनांक 09.01.2012 को दोनों प्रकरणों में एकपक्षीय सुनवाई की जाकर पत्रावलियां निर्णयार्थ आरक्षित की गयी थी, जबकि दिनांक 09.01.2012 की कॉजलिस्ट में प्रार्थी के अभिभाषक का नाम गलत लिखा हुआ था। दिनांक 09.01.2012 की सुनवाई बाबत प्रार्थी को कोई नोटिस भी जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार माननीय एकलपीठ द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किये गये हैं। अतः उक्त दोनों निर्णय रि–कॉल किये जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित किये जावें।

लगातार.....2

3. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय एकलपीठ के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 09.01.2012 की कॉजलिस्ट में प्रार्थी के वकील का नाम 'रेखा गोयल' टंकित है, जो कि मात्र टंकण की त्रुटि है। जबकि कॉजलिस्ट में जिला, अपील संख्या एवं अपीलार्थी/प्रत्यर्थी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि उनका नाम कॉजलिस्ट में टंकित नहीं होने से वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी के परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा परिशोधन प्रार्थना—पत्रों के साथ उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों में दिनांक 09.01.2012 की कॉजलिस्ट में अप्रार्थी के अभिभाषक के रूप में 'रेखा गोयल' का नाम अंकित है, जबकि जिला **'पाली'**, अपील संख्या **'1085/2009'** व **'1086/2009'** एवं अपीलार्थी **'एसीटीओ'** व प्रत्यर्थी **'खन्ना स्टील'** का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। अप्रार्थी के अभिभाषक का नाम गलत टंकित हो जाना, केवलमात्र एक टंकण की त्रुटि से अधिक कुछ नहीं है। प्रकरण वर्ष 2009 से दर्ज है तथा प्रार्थी के अभिभाषक श्री जे.एन. शर्मा/श्री अलकेश शर्मा/श्री सुनील जैन द्वारा संयुक्त रूप से अपना वकालतनामा दिनांक 06.11.2009 को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पेशी पर अभिभाषक अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं अथवा आगामी तारीख पेशी हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अभिभाषक का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि कॉजलिस्ट में नाम नहीं होने से उन्हें प्रकरण नियत किये जाने की जानकारी नहीं थी। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र चलने योग्य नहीं रहता है।

6. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2012, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट 159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पारित किये गये हैं, जिसमें प्रकरणों के गुणावगुण पर किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है, एवं ना ही किसी प्रकार का संशोधन/हस्तक्षेप अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों के गुणावगुण पर भी प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र चलने योग्य नहीं रहते हैं।

लगातार.....3

7. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

03/06/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य